



कार्यालय

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला पंचायत राज कार्यालय, दुमका)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या – 02/2021.....

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2021 के अवसर पर प्रपत्रों की छपाई एवं उससे संबंधित अन्य छपाई की आवश्यकता के मद्देनजर निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपने निविदा को दिनांक– 01.09.2021 को 03:00 बजे अपराह्न तक दो अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय भाग में दो अलग-अलग लिफाफे में मुहर बंद कर एक बड़ा लिफाफा में बंद कर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, दुमका दे सकते हैं। निविदा उसी दिन 04:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष खोली जायेगी।

प्रपत्र एवं लेखन सामग्री

क्र०सं०	समाग्रियों के नाम	अभ्युक्ति
1	लॉग बुक त्रिस्तरीय पंचायत(आम) निर्वाचन 2021	प्रति बुक (10 पन्ने का)
2	पेट्रोल कूपन (प्रति बुक –50 पन्ने)	50 प्रति एवं 100 प्रति
3	आय व्यय पंजी	प्रति बुक (10 पन्ने का)
4	गणना अभिकर्ता का परिचय – पत्र (4"X 3")	
5	FS साईज में छपाई	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
6	मतदाता सूची का लेजर/ डिजिटल प्रिंटिंग में छपाई	एक तरफ एवं दोनों तरफ पेपर सहित
7	निर्वाचित अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र (ग्लोसी बोर्ड में) (A4 साईज में)	प्रति पीस
8	प्रपत्र मुद्रण दर :-	
	(1) डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(2) 1/2 डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(3) 1/4 डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(4) 1/8 डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(5) 1/16 डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(6) 1/32 डी.एफ. साईज	प्रति हजार दोनो तरफ एवं एक तरफ पेपर सहित
	(7) डी एफ पेपर (प्रति हजार

निविदा की शर्तें :-

1. सर्शत निविदा एवं निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. पूर्व में निर्वाचन कार्य में प्रपत्र मुद्रण का अनुभव तथा मतदाता सूची का मुद्रण हेतु समरूप कार्य का अनुभव होना चाहिए।

3. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/- (बीस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, दुमका के पदनाम से जो दुमका में भुगतये होगा। निविदा के साथ इसे जमानत के रूप में संलग्न करना होगा।
4. समानों की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के उपरान्त आदेश मात्र संबंधित स्थान पर लाने एवं पुनः वापस ले जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये अलग से व्यय देय नहीं होगा। संबंधित कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी से कार्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. आवंटन की उपलब्धता पर ही आपके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा।
7. कार्यहित में एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य का वितरण किया जा सकता है।
8. राज्य, प्रमंडल स्तर से अगर उपरोक्त समाग्रियों का कोई भी दर निर्धारित होता है और यह उस निविदादाता द्वारा निर्धारित दर से कम होगा तो भुगतान उसी दर से किया जायेगा।
9. मतदाता सूची मुद्रण का दर निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित दर से अधिक मान्य नहीं होगा।
10. अद्यतन GST संलग्न रहना चाहिए।
11. आयकर सफाया पत्र संलग्न रहना चाहिए।
12. निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत/ स्थगित/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उसका जमानत राशि सुरक्षित रखी जायेंगी।
14. मुद्रण में त्रुटि होने पर उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. मुद्रण 75 GSM के उच्च गुणवत्ता वाले कागज पर करना होगा।

26-8-21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
दुमका

उप निरुक्त आयुक्त
दुमका

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
उपायुक्त, दुमका।